

फर्द अहकाम



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

आनन्दीलाल वगै०

बनाम

श्रीया वगै०

कदमा नं० :- 135 / 2025

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 व 2 की ओर से एड० श्री शंशाक चतुर्वेदी ने वकालतनामा मय जवाब सहमति पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर </p>	
	01.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.6700 है० वाकै ग्राम थली, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 का सहमति जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम थली, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.6700 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर </p>	